Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में आबकारी थाना सलूम्बर का प्रहराधिकारी 6 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *31 मार्च, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर डूंगरपुर इकाई द्वारा आज उदयपुर में कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र प्रसाद जाटव प्रहराधिकारी, आबकारी थाना सलूम्बर, जिला उदयपुर को परिवादी से **6 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की डूंगरपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी लाईसेंसशुदा शराब की दूकान को निर्बाध चलने देने एवं परेशान नहीं करने की एवज में राजेन्द्र प्रसाद जाटव प्रहराधिकारी, आबकारी थाना सलूम्बर, जिला उदयपुर द्वारा तीन माह की बन्धी के रूप में **6 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के उदयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी की डूंगरपुर इकाई के **उप अधीक्षक श्री हेरम्ब जोशी** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज आबकारी थाना परिसर सलूम्बर, उदयपुर में मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र प्रसाद जाटव पुत्र श्री भागचंद निवासी ग्राम सलेमपुर, तहसील महुवा, जिला दौसा हाल प्रहराधिकारी, आबकारी थाना सलूम्बर, जिला उदयपुर को परिवादी से **6 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।